भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3842
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025
3 चैत्र, 1947 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना

3842. श्री राहुल कस्वांः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को उन्हें प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में ख्याति अर्जित करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या राजस्थान और हरियाणा से है;

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान खेलवार और श्रेणीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने और योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की स्कीम तैयार करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) देश भर में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है:

(i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय

राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय (https://yas.nic.in) और भारतीय खेल प्राधिकरण (https://sportsauthorityofindia.nic.in) की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय में निधियां स्कीम-वार, न कि राज्य-वार आबंटित की जाती हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सहित देश भर में विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियों और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आबंटित धन	किया गया व्यय
1	2019-20	2000.00	1989.39
2	2020-21	1313.40	1304.12
3	2021-22	1993.00	1748.76
4	2022-23	1907.69	1879.99
5	2023-24	2380.86	2329.35

(ग) और (घ) चूंकि विभिन्न राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए एथलीटों को पंजीकृत करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य खेल परिसंघों का और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है, इसलिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में एथलीटों की राज्य-वार भागीदारी का डाटा नहीं रखता है।

(ड.) खेलो इंडिया स्कीम के "खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास" घटक के अंतर्गत, देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान खेलो इंडिया एथलीट (केआईए) के रूप में की जाती है। इन एथलीटों का चयन खेलो इंडिया गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसे आयोजनों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खुले और पारदर्शी चयन परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) का चयन प्रतिभा पहचान विकास समिति (टीआईडीसी) द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम के "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां" घटक के अंतर्गत, पहचान की गई प्रतिभाओं को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रशिक्षण खर्च, कोचिंग, प्रतियोगिताओं में एक्सपोजर, शिक्षा, उपकरण सहायता, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये [आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में 1.20 लाख रुपये सहित] की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

****